| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**राजस्व आवेदन संख्या 14/2020 अनवान तुलसाराम बनाम गेमराराम** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.12.20 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 10 के वकील उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी मौजा गेहूं पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 608/131 रकबा 02.01 बीघा व खसरा संख्या 622/142 रकबा 26.04 बीघा कुल रकबा 28.05 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।<br><br>वकील अप्रार्थी संख्या 10 का कथन है कि उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को छोड़कर तथा उनकी उपस्थिति में नखमबन्दी की जावें।<br><br>उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।<br><br>अतः प्रकट मौज़ा गेहूं पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 608/131 रकबा 02.01 बीघा व खसरा संख्या 622/142 रकबा 26.04 बीघा कुल रकबा 28.05 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देष दिनांक 04.?.19 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/— अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल—सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उप खण्ड अधिकारी<br>बाड़मेर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:57:08 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

रीडर/2020/ 2724

दिनांक – 16.12.20

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| तुलसाराम पुत्र वींजाराम जाति जटिया निवासी शरणार्थी क्वाटरों के पीछे, वार्ड संख्या 14 चौहटन रोड बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर। | | 1 गेमराराम 2 केवलराम 3 कमलाराम पिसरान पेलादराम जाति मेघवाल निवासी किरताणियों की ढाणी (गेहूं) 4 भीखाराम पुत्र करनाराम जाति भील निवासी भीलों की ढाणी गेहूं तहसील बाडमेर 5 राजूराम पुत्र मांगाराम जाति भील निवासी भीलों की ढाणी तहसील सिवाना 6 उम्मेदाराम पुत्र भीखाराम जाति जटिया निवासी कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी माल गोदाम के सामने वाली गली बाडमेर तहसील बाडमेर 7 धनाराम पुत्र राजूराम जाति भील निवासी भीलों की ढाणी तहसील सिवाना 8 मटाराम पुत्र मगाराम 9 पेलादराम 10 लोंगाराम 11 पदमाराम पिसरान सताराम जाति मेगवाल निवासी सतों की ढाणी (गेहूं) तहसील व जिला बाडमेर। |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत**

राजस्व आवेदन संख्या :– 14/2020 दिनांक– 16.12.20

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा गेहूं पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 608/131 रकबा 02.01 बीघा व खसरा संख्या 622/142 रकबा 26.04 बीघा कुल रकबा 28.05 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2020/ 2725–28 दिनांक– 16.12.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जालीपा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. तुलसाराम पुत्र वींजाराम जाति जटिया निवासी शरणार्थी क्वाटरों के पीछे, वार्ड संख्या 14 चौहटन रोड बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी गेमराराम पुत्र पैलादराम वगैरह जाति मेघवाल निवासी किरताणियों की ढाणी (गेहूं) तहसील व जिला बाडमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:57:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर